न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/8/2019

उनवान

1. शंकर सिंह पिता भूर सिंह राजपूत निवासी गाजुणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. डूंगर सिंह पिता भूर सिंह राजपूत निवासी गाजुणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. गोपालसिंह पिता भूर सिंह राजपूत निवासी गाजुणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, करेडा के प्रकरण संख्या 54/17 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2018

अधिवक्तागण :—

1. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 13.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता भूर सिंह आत्मज धुल सिंह राजपूत निवासी गाजुणा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा के समय से ग्राम गाजुणा पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील करेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भीलवाडा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3499 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसमे से 3 बाडे (कृषि) प्रत्येक नपती 120 बाई 120 फिट पर वादीगण अपने पिता के समय से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त बाडों में वादी डूंगरसिंह द्वारा पत्थरों की चारों और बाड कर रखी है तथा वादी गोपाल एवं शंकर सिंह द्वारा कांटों एवं थोहरों की बाड लगा रखी है। जिसमें बडे–बडे पेड लगे हुए हैं। वादीगण अपने कृषि उपकरण, मवेशियान, एवं मवेशियों का चारा इत्यादि डालकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी नम्बर 3499 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम होकर राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है। वादीगण तीनों ही बाडों पर 30 वर्षों से काबिज होने के कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार होने की विधिक पात्रता रखते हैं। राजनैतिक प्रभाव के कारण वादीगण को राज्य कर्मचारी पटवारी हल्का शिवपुर बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है जबकि वादीगण के अलावा उक्त आराजियात में ग्राम गाजुणा के अन्य 7 व्यक्तियों के भी बाडे बने हुए है, पटवारी हल्का राजनैतिक प्रभाव के कारण इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तथा वादीगण के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है जो विधिविरूद्ध है। अपीलार्थीगण उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। पटवारी हल्का शिवपुर दिनांक 20.8.2010 को अपीलार्थीगण को कब्जेशुदा बाडे से बेदखल करने पर आमादा हुए और अपीलार्थीगण को धमकी दी कि तुम्हे उक्त बाडे से बेदखल कर दूंगा। जिस पर अपीलार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 को 80 सी पी सी का नोटिस देकर बेदखल नहीं करने हेतु निवेदन किया एवं प्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज किये जाने का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन किया। नोटिस की अवधि गुजरने के बाद भी राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं किया गया । अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्रि सादिर फरमाई जावे कि ग्राम गाजुणा पटवार हल्का शिवपुर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील माण्डल जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3499 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से स्थित वादीगण के 03 बाडे (कृषि) प्रत्येक 120 बाई 120 फिट का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्ततकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे। साथ ही वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि ग्राम गाजुणा पटवार हल्का, शिवपुर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील माण्डल जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3499 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में स्थित वादीगण के तीनों बाडों से प्रतिवादी या उसके कर्मचारी वादीगण के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा एवं रूकावट एवं बाधा उत्पन्न नहीं करे न अन्य से करावे। वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग करने देवें एवं वादीगण को बेदखल कर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन/नियमन नहीं करे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को राजस्व लोक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अदालत अभियान शिवपुर की कोई सूचना नहीं दी गई थी व अपीलार्थीगण को कोई सम्मन व नोटिस भी जारी नहीं किये गये व न ही अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थीगण को दी । जिससे अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हुई । अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.12.2018 को हुई। तब अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी चाही तो उन्होनें बताया कि प्रकरण तो राजस्व लोक अदालत में निर्णित कर दिया । तब अपीलार्थीगण ने उक्त निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 27.12.2018 को निर्णय की प्रति प्राप्त हुई। उसके उपरान्त अविलम्ब अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अधिनस्थ न्यायालय ने अवलोकन नहीं कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम गाजुणा पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी नम्बर 3499 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्थित है जिसमे से 3 बाडे (कृषि) प्रत्येक नपती 120 बाई 120 फिट पर अपीलार्थीगण करीब 30 वर्षो से काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि पर लाखों रूपये व्यय कर भूमि को कृषि योग्य बनाया है। जिसके कब्जे के आधार पर अपीलार्थीगण खातेदारी अधिकार की घोषणा काने के विधिक अधिकारी हैं किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलार्थीगण का वाद पत्र खारिज करने में भूल की है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण अनपढ गरीब व्यक्ति होकर काश्तकार हैं जिसके जीवनयापन का मुख्य आधार कृषि भूमि ही है। उक्त भूमि से ही अपीलार्थीगण अपने स्वयं व अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा अपीलार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक व्यवसाय का साधन नहीं है। अपीलार्थीगण की पुश्तैनी भूमि कम होने से अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के विधिक अधिकारी हैं। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया है। जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण विगत 30 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज होकर निर्बाध रूप से शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं जिससे भी अपीलार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी स्वतः ही हो जाते हैं। उसके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत शिवपुर में पारित किया गया है। जिसका कोई सम्मन अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री नैसर्गिक सिद्धातों के विपरीत पारित किये जाने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त की जावे एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड की जावे।

9. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने स्वयं वादग्रस्त आराजियात पर अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया है। अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर काश्त नहीं की है । उनके द्वारा बाडे बनाये गये हैं। वादग्रस्त भूमि पर बाडे बनाकर नियमन चाहा गया है जो नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अंदर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलार्थीगण का कथन है कि वे ग्राम गाजुणा पटवार हल्का शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी नम्बर 3499 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमे से 3 बाडे (कृषि) प्रत्येक नपती 120 बाई 120 फिट पर अपीलार्थीगण करीब 30 वर्षो से काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिस एवं पेनल्टी की रसीदें भी प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार की मांग की है। जबकि रेस्पोडेण्ट द्वारा जवाब में वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण द्वारा कोई काश्त करना नहीं बताया गया है बल्कि बाडे बनाये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न 91 के नोटिस का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण को आराजी नम्बर 3756/3502 पर अतिक्रमण करने के नोटिस जारी किये गये हैं। जबकि अपीलार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 3499 पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवैध बाडे का नियमन चाहा गया है। जिस भूमि पर बाडे बनाकर एडवर्स पजेशन के आधार पर अपीलार्थीगण ने नियमन का अनुतोष चाहा है उसके लिए अपीलार्थीगण द्वारा अपील मीमों के पेरा नम्बर 4 में में अंकित किया गया है कि उनके जीवन का मुख्य आधार कृषि भूमि ही है । उक्त भूमि से ही अपीलार्थीगण अपने स्वयं व अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं इसके अलावा अपीलार्थीगण के पास अय कोई वैकल्पिक व्यवसाय का साधन नहीं है। जबकि पत्रावली से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण द्वारा काश्त किये जाने के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का अनुतोष नहीं चाहा गया है बल्कि बाडे बनाकर कब्जा करने के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है। अतः यह स्पष्ट निष्कर्षित होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कभी भी काश्त नहीं की गई है एवं न ही वादग्रस्त आराजी को उपजाऊ बनाने का ही प्रयास किया गया है।

12. अपीलार्थीगण ने वाद पत्र में जिस आराजी नम्बर की खातेदारी चाही है उससे भिन्न आराजी नम्बर के भी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नोटिस लगातार 30 वर्षो के कब्जे के प्रमाण नहीं होकर भिन्न–भिन्न वर्षें के हैं। नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है , न ही दस्तावेजात स्वप्रमाणित ही है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस का निर्णय संलग्न नहीं कया गया है। अतः इन्हें पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/वादीगण को उनके द्वारा वांछित अनुतोष दिया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

13. अपीलार्थीगण का यह निवेदन भी है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है । इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 4.4.2011 को पंजिबद्ध किया गया । जिसके उपरान्त प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थीगण /वादीगण की ओर से दिनांक 22.12.2016 को गवाह डूंगर सिंह आत्मज भूर सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। स्वयं वादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण होना एवं उस पर बाडे बनाकर पजेशन के तथ्य को स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 4.4.2011 को पंजिबद्ध किया गया एवं प्रकरण का निस्तारण 11.6.2018 करीब 7 वर्ष पश्चात मेरिट पर किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम से प्रकट होता है कि दिनांक 26. 4.2018 को वकील वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रमाण मे बहस हेतु समय चाहा । इस क्रम में पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11.6.2018 को कैम्प शिवपुरा में पेश किये जाने का आदेश लिखा गया । इससे यह स्पष्ट होता है कि वकील वादी को दिनांक 11.6.2018 की तारीख पेशी के लिए सूचित कर दिया गया था। दिनांक 11.6.2018 को उभयपक्षकारान उपस्थित होने का अंकन किया गया है तथा फर्द अहकाम पर अपीलाण्ट डूंगर सिंह कव नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर भी हैं। ऐसे में अपीलाण्ट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण को राजस्व लोक अदालत अभियान की कोई सूचना नहीं दी गई हो। तारीख पेशी दिनांक 11.6.2018 की जानकारी अपीलाण्ट को थी तथा उन्हें सुना जाकर के ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है उचित प्रतीत नहीं होता है।

14. अपीलाण्टगण स्वयं ग्राम गाजूणा पटवार हल्का शिवपुर तहसील माण्डल के संभ्रान्त काश्तकार हैं तथा संलग्न जमाबंदी संवत 2066–69 अनुसार खसरा नम्बर 1435/2, 1441, 1447/2, 3501, 3502, 3503, 3537, 3538, 3539, 3540, 3928/3756 कुल किता 11 रकबा 9.07 है0 भूमि में सहखातेदार हैं। ऐसे में राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 3499 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में बाडे बनाकर अतिक्रमण करने को उचित नहीं कहा जा सकता । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न दस्तावेजों में तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट दिनांक 20.5.2005 अनुसार इस भूमि पर पंचायत द्वारा अवैध पट्टे भी जारी किये हैं। संलग्न पत्रावली अनुसार अपीलाण्ट द्वारा अन्य राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 3756/3502 गैर मुमकिन मगरी पर भी अतिक्रमण किया है। अतः इस स्तर पर निष्कर्ष संदेह से परे हैं कि अपीलाण्ट आदतन अतिक्रमी है तथा अपने प्रभाव से ही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में कठोर सजा के निर्णय से बचे हुए हैं। भूमिधारक तहसीलदार करेडा को चाहिये था कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण के ऐसे गम्भीर प्रकरणों में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कठोर निर्णय पारित करते। अपीलाण्ट द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की नोटिस रसीदें प्रस्तुत की है। परन्तु नोटिस के क्रम में जारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम संलग्न प्रस्तुत नहीं किये है। राजकीय बिलानाम भूमि पर बाडे बनाकर कब्जा करने के प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नहीं की जा सकती है न ही एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है । पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 13.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/8/2019

उनवान

1. शंकर सिंह पिता भूर सिंह राजपूत निवासी गाजुणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. डूंगर सिंह पिता भूर सिंह राजपूत निवासी गाजुणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. गोपालसिंह पिता भूर सिंह राजपूत निवासी गाजुणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, करेडा के प्रकरण संख्या 54/17 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/08/2019** मे **उपखण्ड अधिकारी, करेडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 13.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दीपक शर्मा वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 13.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 13.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस